प्रशासन गाँवों के संग अभियान–2023
शिविर स्थल – ग्राम पंचायत 6/8 एलपीएम

सुखमा बनाम सरकार
अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.ए.
प्र.सं. 01/2023 जीसीएमएस आईडी : 2023/28

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
02.06.2023	आज यह पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 कैंप ग्राम पंचायत 6/8 एलपीएम में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि चक 5 एलपीएम बी तहसील रायसिंहनगर का खाता सं. 71/61 प.नं. 276/354 मु.नं. 10 कि.नं. 1 ता 17 कुल 4.073है. नहरी भूमि मय खाला राजस्व रिकार्ड में सुखमणी पुत्री ख्यालीराम जाति बावरी के नाम से दर्ज हैं। यह रकबा प्रार्थीया को पिता के देहान्त के बाद विरास्तन में प्राप्त हुई हैं। रिकार्ड में प्रार्थीया का पीहर 5 एलपीएम का नाम सुखमणी दर्ज हो गया हैं। जबकि प्रार्थीया का नाम सुखमा पुत्री ख्यालीराम पत्नी अमीचन्द हैं। ससुराल में प्रार्थीया को सुखमा के नाम से ही जानते हैं। दस्तावेजों में भी प्रार्थीया का नाम सुखमा अंकित हैं। राजस्व रिकार्ड में सुखमणी पुत्री ख्यालीराम के स्थान पर सुखमा पुत्री ख्यालीराम पत्नी अमीचन्द दुरूस्त करने के आदेश फरमाने हेतु निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार रायसिंहनगर के प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./2023/1192 दिनांक 23.02.2023 के अनुसार चक 5 एलपीएम बी के खाता सं. 71 प.नं. 276/354 मु.नं. 10 कुल 4.174है. नहरी मय खाला सुखमणी पुत्री ख्यालीराम जाति बावरी सा. देह के नाम से खातेदार दर्ज हैं। चक 5 एलपीएम बी नामान्तरकरण 157 किस्म विरास्तन दिनांक 26.10.2007 द्वारा प्रार्थीया सुखमणी के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हुई हैं। सुखमणी व सुखमा दो अलग–2 औरते न होकर एक ही औरत के दो नाम चलन में आ गया। प्रार्थीया का राजस्व रिकार्ड में सुखमणी उर्फ सुखमा पत्नी अमीचन्द पुत्री ख्यालीराम जाति बावरी की दुरूस्ती की जानी उचित हैं। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार रायसिंहनगर की अनुशंषा के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड चक 5 एलपीएम बी के खाता सं. 71 प.नं. 276/354 मु.नं. 10 कुल 4.174है. नहरी मय खाला भूमि के खातेदार के नाम सुखमणी पुत्री ख्यालीराम के स्थान पर सुखमणी उर्फ सुखमा पत्नी अमीचन्द पुत्री ख्यालीराम दुरूस्त कर दर्ज करने के आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर को दिए जाते हैं। शेष अंकन यथावत रहेगा। आदेश की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर) उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Pratik Chandrashekhar Juikar
Date: 2023.06.23 16:39:06 IST
Reason: SelfAttested